प्रकरण संख्या – 98 / 2019 दिनांक : 06.08.2020

अनवान

मगनीराम पिता कालू जाट उम्र वयस्क निवासी भूतियाखुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... वादी

।। बनाम ।।

1. उदयराम पिता कालू जाट उम्र वयस्क निवासी भुतियाखुर्द तहसील भदेसर
2. किशोर कुमार पिता भंवरलाल धाकड निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
3. भगवानलाल पिता कालू जाट वयस्क निवासी भुतियाखुर्द तहसील भदेसर
4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे 76 अशोक नगर उदयपुर
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर चित्तौडगढ
6. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री उमेश आगाल एवं जाहिद रजा वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188, 209 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि ग्राम भुतियाखुर्द पटवार हल्का [illegible] में स्थित साबिक खाता संख्या 48 में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 187 / 3 रकबा 1 बीघा 5 [illegible] जो

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

सेटलमेन्ट होने से हाल खाता संख्या 68 में दर्ज आराजी नम्बर 63 मीन रकबा 0.28 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के साबिक आराजी नम्बर 187/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 62 रकबा 0.43 हैक्टेयर आराजी नमबर 450/63 रकबा 0.02 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 एवं 2058 से 2061 मिलान क्षेत्रफल नक्शा नया व पुराना संलग्न वाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हुआ जिसमें साबिक आराजी नम्बर 187 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि में बंटवाडे अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम आराजी नमबर 187/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 03 के नाम आराजी नम्बर 187/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नमबर 187 रकबा 12 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 ने साबिक आराजी नम्बर 187/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 24.05.2010 को विक्रय कर दी जिससे उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त बंटवाडे अनुसार जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 मे खाता संख्या 48 में दर्ज कर दिया लेकिन राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम नही किया ।

3. यह कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बंटवाडे को राजस्व रेकार्ड के साबिक नक्शें में आराजी नम्बर 187/2, 187/3 को दर्ज नहीं किया साबिक आराजी नम्बर 187/3 में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 काबिज है एवं आराजी नम्बर 187/2 में प्रतिवादी संख्या 03 काबिज है लेकिन भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा साबिक नक्शे में उपरोक्त बंटवाडे अनुसार आराजी नमबर 187/3, 187/2 दर्ज नहीं होने से भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के साबिक [illegible] बले नये आराजी कायम किये व नये आराजी को राजस्व रेकार्ड [illegible] आराजी नम्बर 62 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे में एवं आराजी नम्बर [illegible]3 मीन को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के कब्जे में दर्ज कर दिया इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

नाम आराजी नम्बर 62 मे से 0.28 हैक्टेयर रकबा एवं आराजी नम्बर 63 मीन का रकबा प्रतिवादी संख्या 02 व 023 के नाम राजस्व रेकार्ड मकें दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड के नक्शे मे भी तरमीम किये जाने की डिकी सादिर फरमाई जावे ।

4. यह कि आराजी नमबर 62 मे से 0.03 हैक्टेयर भूमि को राजमार्ग हेतु प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा अवाप्त किया जाना प्रस्तावित हे उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाम पर दर्ज हे लेकिन साबिक रेकार्ड अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का आराजी नमबर 62 के 0.28 हैक्टेयर रकबे पर काबिज हे इसलिए प्रतिवादी संख्या 04 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी संख्या 02 यव 03 को कोइ मुआवजा राशि अदा नहीं करें एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को आराजीयात से प्रतिवादीगण बेदखल न तो स्वंय करें ना अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करावें ।

5. यह कि प्रतिवादी राज्य सरकार के प्रतिनिधीगण है जिनके विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटिस देना आवश्यक होता है परन्तु प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी की कृषि आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा0दी0 का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 20.06.2019 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतःवाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । तथा तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौका कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई ।

बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री काबिल हुसैन ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से वकील श्री मुकुट बिहारी ने वादोत्तर प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी के बंटवाडे के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 04 हितबन्ध नहीं से से उनके विरूद्व वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है न ही जवाबदेह है । पक्षकारों में स्वामित्व संबंधी कोई विवाद है तो उसके लिए प्रतिवादी संख्या 4 उत्तरदायी नहीं है । विवादित आराजीयात का छः लेन निर्माण में अवाप्ताधीन प्रस्तावित के मुआवजे का भुगतान एन एच ए आई द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) के द्वारा जारी अवार्ड के निर्देशानुसार किया जायेगा शेष कथन समायत न्यायालय होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद खारीज फरमाया जावे । प्रतिवादी संख्या 04 को जनहित की महत्ती राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण योजना मे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कतई न्यायहित मे नहीं है ।

प्रतिवादी संख्या 5, 6, के प्रतिनिधि उपस्थित जिन्होंने किसी प्रकार वादोत्तर प्रस्तुत नहीं जाहिर किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया था किन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

पेरोकार सरकार तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका एवं रिकार्ड के आधार पर कमीशनरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि :—

रिकार्ड अनुसार ग्राम भूतियाखुर्द की सबिक आराजी नमबर 187 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि एवं अन्य आराजीयात श्री मगनीराम उदेराम भगवानलाल पिता कालू जाट सा. भुतियाखुर्द के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड थी । माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 268/07 द्वारा पारीत डिक्री की पालना में साबिक आराजी नमबर 187 दो भागों में विभक्त की गई जिस अनुसार साबिक आराजी नमबर 187/2 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा भूमि श्री भगवानलाल पिता कालू जाट एवं आराजी नमबर 187/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि श्री मगनीराम उदेराम पिता कालू जाट के नाम रिकार्ड की गई । मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नमबर 187

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with CamScanner

रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 62 रकबा 0.43 हैक्टैयर आराजी नम्बर 63 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर बने । सेटलमेन्ट के पश्चात ग्राम भुतियाखुर्द की आधार वर्ष की जमाबन्दी से रोटेशन जमाबन्दी बनाते समय उक्त साबिक आराजी नम्बर 187 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का डिकी आदेश अनुसार अमल दरामद किया गया साबिक आराजी नमबर 187 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 62 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 63 रकबा 0.30 हैक्टेयर बनने से साबिक आराजी नम्बर 187/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो डिकी आदेश से श्री मगनीराम उदयराम पिता कालू जाट के नाम दज्र रिकार्ड की गई के नाम नवीन आराजी नम्बर 63 मी रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई तथा साबिक आराजी नम्बर 187/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो डिकी आदेश से भगवानलाल पिता कालू जाट के नाम दर्ज रिकार्ड की गई थी एवं उसके पश्चात् श्री भगवान के द्वारा अपने हिस्से की उक्त आराजी में से 1 बीघा भूमि अन्य को विक्रय कर दिये जाने श्री भगवानलाल पिता कालू जाट 22/42 किशो कुमार पिता भंवरलाल धाकड 20/42 के नाम नवीन आराजी नम्बर 450/63 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 62 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड की गई ।

रिकार्ड अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :–

1. आराजी नम्बर 62 रकबा 0.43 हैक्टेयर , आराजी नमबर 450/63 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि श्री भगवानलाल पिता कालू जाट 22/42 किशोरकुमार पिता भंवरलाल 20/42 धाकड के नाम दर्ज रिकार्ड है ।
2. आराजी नम्बर 63 मी .रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि मगनीराम उदयराम पिता कालू जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है ।

मौके व कब्जे अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है

1. दक्षिणी दिशा की आराजी नमबर 62 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर मगनीराम उदयराम पिता कालू जाट काबिज है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:48:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मदेसर, चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी • जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

2. उत्तरी दिशा की शेष आराजी नम्बर 62 रकबा 0.15 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 450/63 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 63 मी दृ रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर भगवानलाल पिता कालू जाट एवं किशोरकुमार पिता भंवरलाल धाकड काविज है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारीत डिकी का नक्शा पटवार हल्का नाहरगढ में उपलब्ध नहीं है अतः सागिक नक्शा आ0न0 187 जिसको डिकी आदेश से दो हिस्से में विभाजित किया गया था इसमें किसको उत्तरी दिशा मे रखा गया और किसको दक्षिणी दिशा मे रखा गया ये जानकारी नहीं की जा सकती है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा भुतियाखुर्द खाता संख्या 68 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–1
2. नक्शा ट्रेस प्रदर्श –2
3. नक्शा ट्रेस पुराना प्रदर्श –3
4. नकल जमाबन्दी मौजा भुतियाखुर्द खाता संख्या 61 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–4
5. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5
6. पुरानी जमाबन्दी प्रदर्श–6

चूंकि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित नहीं हुए है दिगर पक्षकारान् प्रफोर्मा पक्षकार होने से वाद बिन्दु कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं जवाब प्रतिवेदन एवं कमीशन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । जिससे यह साबित होता है कि विवादित आराजात पूर्व में पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी किन्तु राजस्व न्यायालय के माध्यम से साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

नम्बरान् का विभाजन डिक्री होने से उनके अलग अलग खातेदारी में दर्ज हुई तत्पश्चात् भूप्रबन्ध होने से नवीन आराजी नम्बर कायम हुए तथा रोटेशन से जमाबन्दी मे काबिज भू भाग वाली आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं होने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है । जिस भू भाग पर वादी काबिज हे वह उसके नाम पर खातेदारी में नहीं है तथा वह भूमि नेशनल हाईवे निर्माण में अवाप्ताधीन है जिसका मुआवजा वादी प्राप्त करने से वंचित हो रहें इसके लिये अन्य सहखातेदार ने अपना सहमति जबावदावा भी प्रस्तुत किया गया है कि वादी के काबिज वाले भू भाग को उनके नाम दर्ज कर दिया जावे तथा उनके नाम खातेदारी में दर्ज भू भाग को विपक्षीगण के नाम समयोजित कर दिया जाता हे तो उन्हें को आपत्ति नहीं है । यदि उक्त प्रकार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती नही की जाती है तो पक्षकारों में विवादवृद्वि होना संभावित होगा इस राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के कारण दुरगामी परिणाम सुविधाजनक एवं न्याय संगत होगें । प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट से भी प्रमाणित हे कि पक्षकारों के काबिज व उपयोग उपभोग वाली आराजी उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से किसी प्रकार के करापवंचन अथवा राजस्व हानि होने की संभावना नहीं है न ही कोई आपत्ति प्राप्त हुई है । नेशनल हाईवे ऑथरेटी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया हे कि हितबद्व व्यक्ति को समक्ष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा पारीत अवार्ड के मुताबिक मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा । अतः वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित मानता हे ।

उपरोक्त विवेचन एवं हस्ब इकबालिया जवाबदावा एवं कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज मौजा भूतियाखुर्द की खाता संख्या 61 की आराजी नम्बर 62, 450/63 किता–2 कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 की आराजी किता–11 कुल रकबा 5.01 हैक्टैयर में से आराजी नम्बर 63 मी रकबा 0.28 हैक्टेयर में दर्ज वर्तमान खातेदारान् की प्रविष्टि ... खातेदारान् के काबिज अनुसार निम्न प्रकार संशोधन किया ... रेकार्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी • चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

ग्राम का नाम भुतियाखुर्द

राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान विशिष्ठियां				प्रस्तावित रद्दोबदल / समायोजन से जिसके खातेदारी में दर्ज की जानी है		
क्र.स0	आ0न0	कुल रकबा (हैक्टै.मे)	खातेदार का नाम	आ0न0	रकबा (हैक्टै.मे)	खातेदार का नाम
1	62	0.43	भगवानलाल पिता कालू जाट 22/42 किशोरकुमार पिता भंवरलाल 20/42 धाकड	62	0.28 (दक्षिणी दिशा)	मगनीराम उदयराम पिता कालू जाट
					0.15 उत्तरी दिशा की शेष आराजी	भगवानलाल पिता कालू जाट 22/42 किशोरकुमार पिता भंवरलाल 20/42 धाकड
2	450/63	0.02		450/63	0.02	भगवानलाल पिता कालू जाट 22/42 किशोरकुमार पिता भंवरलाल 20/42 धाकड पूर्ववत्
3	63 मी.	0.28	मगनीराम उदयराम पिता कालू जाट	63 मी.	0.28	भगवानलाल पिता कालू जाट 22/42 किशोरकुमार पिता भंवरलाल 20/42 धाकड

तदनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिकी मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, चित्तौडगढ़

Scanned with CamScanner